न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सुपौल

जमानत आवेदन संख्या– 258/2026

त्रिवेणीगंज थाना काण्ड संख्या– 548/2022

	प्रकाश कुमार..........आवेदक **बनाम्** बिहार सरकार..........विपक्षी	
19/05/26	काराधीन अभियुक्त प्रकाश कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री नंद किशोर यादव द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है एवं उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जा चुका है तथा उसके अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उसे मनगढ़न्त तरीके से ग्रामीण राजनीति के तहत झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी में प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध केवल थ्रीनट लहराने का आरोप है तथा उसके अलावे अन्य कोई भी आरोप नहीं है। उभय पक्ष के बीच जमीन संबंधित विवाद है। अनुसंधान पश्चात अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रार्थी अभियुक्त को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है परंतु न्यायालय द्वारा नामजद सभी अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदित किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त पढ़ने वाला छात्र है तथा उसका स्नातक तृतीय खंड का परीक्षा दिनांक 25/05/2026 से प्रारंभ होने वाली है तथा जिसका प्रवेश पत्र ऑनलाईन जारी होने वाला है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 29/03/2026 से काराधीन है। प्रार्थी अभियुक्त सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री कमल नारायण यादव द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। प्रस्तुत वाद सूचक हीरा लाल राय के आवेदन के आधार पर धारा 148, 149, 447, 427, 504, 341, 323, 325, 307, 379 भा0द0वि0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। सूचक का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 01/12/22 को समय 12.00 बजे दिन प्रार्थी अभियुक्त सहित अन्य अभियुक्तगण अन्य अज्ञात हसेरियों के साथ हथियार से लैश होकर उसके जमीन में लगे गेहूँ के फसल को हल बैल से जोतने लगे। सूचक द्वारा मना करने पर उसके साथ मारपीट करने लगे। अभियुक्त उतम लाल राय अपने हाथ में लिये लाठी से उसके माथा पर मारकर जख्मी कर दिया। सूचक का भाई मनोहर राय उसे बचाने आया तो अभियुक्त तेजनारायण राय उसे लाठी से मार कर जख्मी कर दिया। सूचक का बटाईदार दयालाल सरदार बचाने आया तो अभियुक्त बिरबल राय कुदाली से उसके उपर जानलेवा हमला कर दिया जिससे उनका माथा, पैर जख्मी हो गया। सूचक को बचाने उसका भतीजा नीरज राय आया तो अभियुक्त सुकचेन राय व विकास कुमार कुदाली व लोहे के रॉड से मारकर उसका सर फोड़ दिया। सूचक के दूसरे भतीजा सौरभ राय का उतमलाल राय व चंदन राय लोहे के रॉड व खंती से मारकर हाथ पैर तोड़ दिया। सूचक के पुत्र पप्पू राय को विकास कुमार फरसा से मारकर जख्मी कर दिया तथा अभियुक्त प्रकाश कुमार अपने हाथ में थ्रीनट को लहराते हुए गोली मार देने का भय दिखाने लगा। अभियुक्त रीना देवी सूचक के भतीजा सौरभ राय के जेब से 15000 रू0/– का मोबाईल छीन ली। मारपीट के दौरान आसपास के	**लगातार...**

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सुपौल

जमानत आवेदन संख्या– 258 / 2026
त्रिवेणीगंज थाना काण्ड संख्या– 548 / 2022

19/05/26 **लगातार**	लोग आये और बीच बचाव किया तथा ईलाज हेतु सभी अस्पताल ले गया। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक एवं उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने एवं उन्हें जख्मी करने का आरोप है। प्राथमिकी से स्वतः स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध मारपीट करने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है बल्कि थ्रीनट लहराते हुए भय दिखाने का आरोप है। कांड दैनिकी की कंडिका 30 से स्पष्ट है कि घटना के समय दोनों पक्षों में मारपीट हुई है तथा उसमें दोनो पक्षों के लोग जख्मी हुए है तथा जिसको लेकर दोनो पक्षों की ओर से एक दूसरे पर मुकदमा दायर किया गया है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि उभय पक्ष के बीच जमीन संबंधित विवाद है। प्रस्तुत वाद में अनुसंधान पश्चात अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रार्थी अभियुक्त को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है परंतु न्यायालय द्वारा नामजद सभी अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया है। सुनवाई के क्रम में प्रार्थी के पिता तेजनारायण यादव द्वारा एक शपथ पत्र दाखिल कर कथन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त का स्नातक तृतीय खंड का परीक्षा दिनांक 25 / 05 / 2026 से प्रारंभ होने वाली है तथा जिसका प्रवेश पत्र ऑनलाईन जारी होने वाला है तथा उसे परीक्षा मे सम्मिलित होना जरूरी है। वाद के सह–अभियुक्त सुखचेन राय एवं तेज नारायण राय को पूर्व में जमानत आवेदन सं0 605 / 23 एवं 202 / 23 द्वारा इसी न्यायालय से नियमित जमानत प्रदान की गयी है। प्रार्थी अभियुक्त के जमानत आवेदन के कंडिका 3 के अनुसार उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 29 / 03 / 2026 से काराधीन है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थी अभियुक्त द्वारा कारा में बिताई गई अवधि ा को देखते हुए उसकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। तदनुसार प्रार्थी अभियुक्त प्रकाश कुमार को विद्वान निम्न न्यायालय के संतुष्टिकारक मो0 10,000 / – रूपये के व्यक्तिगत एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। लेखापित (दिलीप कुमार सिंह) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सुपौल	